न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम ओमप्रकाश मोदी पुत्र रेखचन्द मोदी जाति अग्रवाल डीडवाना वगैरह

प्रार्थना–पत्र नम्बर 31/2023 **RCMS No.2023/71**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
14.06.2023	पत्रावली अप्रार्थी के निवेदन पर आज नम्बर पर ली गई। प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप मे इस प्रकार से है कि तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा राजस्व वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत अप्रार्थी ओमप्रकाश मोदी पुत्र रेखचन्द मोदी जाति अग्रवाल डीडवाना वगैरह के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत किया, ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 67 रकबा 3.87 हैक्टर चाही तृतीय को अप्रार्थीगण ने बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि उपयोग कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है, इसलिए अप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उसे पाबंद फरमाया जावे। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनॉक 31.03.2023 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, अप्रार्थी ओमप्रकाश की ओर से श्री अशोकपुरी अधिवक्ता उपस्थित आये । जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ, अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है उन्होने उपरोक्त कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन उपयोग–उपभोग में नही लिया जा रहा है, मात्र कृषि कार्यो में ही किया जा रहा है, परन्तु माननीय न्यायालय के वाद व स्थगन प्रभावी होने से उक्त भूमि को विकसित करने एवं कृषि कार्य हेतु ऋण आदि लेने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे भूमि का विकास व कृषि कार्य पूर्ण रूप से बाधित हो रहा है, अतः उनके विरूद्व की गई धारा 212 राज.काश्त.अधि. 1955 की कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावें ताकि वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य हेतु ऋण लिा जा सके एवं कृषि कार्य के लिए विकसित किया जा सके, उतरदातागण यह अन्डरटेकिंग देते है कि भविष्य में हमारे द्वारा उपर्युक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग–उपभोग किया जाता है तो संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से उसको विधिवत संपरिवर्तन करवाकर ही कृषि कार्य से गैर कृषि कार्य में उपयोग–उपयोग किया जायेगा। अत उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र को खारिज फरमाया जावें। प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब एवं शपथ–पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया है तथा अप्रार्थी ने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 67 रकबा 3.87 हैक्टर भूमि का आज दिन कृषि उपयोग मे ही किया जा रहा है, जब कभी भी कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन उपयोग में लिया जावेगा तो सक्षम प्राधिकृत अधिकारी से संपरवर्तिन करवाकर ही अकृषि प्रयोजन उपयोग किया जावेगा। अतः अप्रार्थी के जवाब एवं शपथ–पत्र में उल्लेखित तथ्यों पर विश्वास करते हुए इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा 31.03.2023 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.27 13:10:37 IST
Reason: SelfAttested